

सेवा मे

जन सूचनाधिकारी/निदेशक नेशनल सुगर इन्स्टीट्यूट कानपुर
कल्याणपुर कानपुर नगर



जन सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत

नेशनल सुगर इन्स्टीट्यूट कानपुर के लिए ग्राम अकरपुर बंगर के लिए भूमि अधिग्रहित की गयी थी जिसका अर्वार्ड संख्या 11 दिनांक 01-07-1959 है इस सम्बन्ध में निम्न सूचना प्रेषित करने का कष्ट करे।

1- नेशनल सुगर इन्स्टीट्यूट के लिए अधिग्रहित भूमि के चारों तरफ बाउन्डरीवाल का निर्माण किरा सन् में कराया गया इसकी कुल लम्बाई क्या है।

2- नेशनल सुगर इन्स्टीट्यूट द्वारा अपनी भूमि किरा सन् में दलहन विभाग को दी गयी है नेशनल सुगर इन्स्टीट्यूट और दलहन विभाग के बीच हुए अनुबंध या जो भी दस्ता वेज बना है उसकी प्रति प्रदान करे।

3- नेशनल सुगर इन्स्टीट्यूट द्वारा दलहन विभाग या किसी अन्य विभाग को भूमि दिये जाने का क्या कारण है।

4- अर्वार्ड संख्या 11 दिनांक 01-07-1959 का मुकदमा नम्बर बताने तथा अर्वार्ड की पठनीय प्रति भेजे।

नोट- 100 रूपए संलग्न है।

आवेदक
डी० एन० सखन

एलवोकेट

सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड

कुए के पास कानपुर नगर

मो० नो - 9415044619

संख्या: 25(52)/2015/RTI/40

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

एक आई०एस०ओ० 9001:2008 प्रमाणित संस्थान
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
(भारत सरकार)

दूरभाष : (0512) 2570575
फैक्स : (0512) 2570247
ई मेल : nsikanpur@nic.in
वेबसाइट : <http://nsi.gov.in>

कानपुर, दिनांक: 06.01.2016

सेवा में,

श्री डी० एन० सचान,
एडवोकेट
सिविल कोर्ट कम्पाउन्ड, कुरं के पास,
कानपुर नगर

जाँची

महत्वता 490

दिनांक 06/01/2016

विषय: जनसूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र दिनांक Nil के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा प्रेषित आई.पी.ओ. सं० 46 H 201344 दिनांक 23.12.2015 जो कि ₹० 100/- (रुपये सौ मात्र) के मूल्य का है, जनसूचना अधिकार अधिनियम के नियमानुसार उचित मूल्य का नहीं है एवं सक्षम अधिकारी के नाम पर नहीं जारी किया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि इस स्तर पर केवल ₹० 10/- (रुपये दस मात्र) मूल्य का आई.पी.ओ. "निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर" के नाम प्रेषित करें। आपके द्वारा मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराने हेतु विचार आवश्यक शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाएगा। तत्पश्चात् वांछित दस्तावेजों की प्रतियों हेतु आवश्यक मूल्य के आई.पी.ओ. के विषय में आपको सूचित किया जायेगा।

उक्त ₹० 100/- का आई.पी.ओ. इस पत्र के साथ भूल रूप में संलग्न कर आपको लौटाया जा रहा है।

भवदीय

(राकेश शुक्ला)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

संलग्नक आई.पी.ओ. सं०-46 H 201344